भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-899

जिसका उत्तर 20 जुलाई, 2017 को दिया जाना है ।

गैसफायर्ड उत्पादन क्षमता

899. डॉ. उदित राजः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या ईंधन की कमी के कारण 16,000 मेगावाट गैसफायर्ड उत्पादन क्षमता व्यर्थ पड़ी है;

(ख) मंत्रालय द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि सरकार और निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा इन संयंत्रों में किए गए कई बिलियन डॉलर के निवेश की बर्बादी नहीं हो इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या मंत्रालय ने अब तक संग्रहित कोयला उपकर के उपयोग के लिए कोई रणनीति तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या मंत्रालय का वर्तमान और भावी कोयला उपकर को राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि में विपथन सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : घरेलू गैस उपलब्ध न होने के कारण देश में कुल 14305 मेगावाट की गैस आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता बंद पड़ी हुई है। पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएंडएनजी) ने बताया है कि विद्युत क्षेत्र को घरेलू गैस की आपूर्ति वर्तमान उत्पादन स्तर के अनुसार की जा रही है और पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार विद्युत क्षेत्र को घरेलू प्राकृतिक गैस की आपूर्ति ही भविष्य में उत्पादन स्तर में वृद्धि कर सकती है।

(ग) और (घ) : जी, नहीं। वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017 जिसे दिनांक 12.4.2017 को अधिसूचित किया गया है, में यह व्यवस्था है कि पान मसाला, तंबाकू, एरेटेड जल आदि पर कुछ अन्य उपकर सहित कोयला उपकर में जीएसटी मुआवजा निधि शामिल होगी और इसका उपयोग जीएसटी कार्यान्वयन के कारण संभाव्य हानियों के लिए उन्हें मुआवजा देने हेतु पाँच वर्षों के लिए राज्यों को मुआवजा देने के लिए किया जाएगा। पाँच वर्षों के पश्चात, बची हुई किसी भी राशि की हिस्सेदारी केंद्र और राज्यों के बीच 50% के आधार पर की जाएगी।

****